12.35 hrs.

STATEMENT BY MEMBERS UNDER DIRECTION 115 AND MINISTER'S REPLY THERETO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, कई महीने पहले मैंने व्यापार मंत्री श्री दिनेश सिंह का ध्यान उन के द्वारा की गई गलतबयानी की ओर दिलाया था, जो उन्होंने मेरे तारांकित प्रश्न संख्या नौ सौ तिरानवे के जवाब के दौरान में 7 जुलाई, 1967 को की थी। मेरा प्रश्न कई टेक्सटाइल मिलों द्वारा उनको दिये गये आयात परवानों को धनराज मिल्स बम्बई के नाम से परिवर्तित करने के बारे में था। इस तरह लाइसेंस की अदला-बदली करने का काम उस समय के टेक्सटाइल कमिश्नर की अनुमति से किया गया था। आगे चल कर ज्वायेंट चीफ कंट्रोलर आफ एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट की सहमति और आज्ञा से इन परवानों में मधुसूदन गोवर्धन दास कम्पनी ने परिवर्तन करवाया था। इस परिवतन के कारण गैर-कानूनी ढंग से नाइलोन फिलामेंट यार्न मंगाया गया, जिसके ऊपर सरकार ने पाबन्दी लगाई थी। इस नाइलोन सूत में से कुछ हिस्सा कस्टम ने रोक लिया, लेकिन बाकी सारा हिस्सा 800 प्रतिशत तक मुनाफा कमा कर बाजार में बेच डाला गया है।

व्यापार मंत्री ने यह कह कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की कि अपना परवाना बेचने वाली मिलों के नाम काली सूची में डाल दिये गये हैं, यानी उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है। सत्य बात यह है कि अब तक इन मिलों को काली सूची में नहीं डाला गया है। मैं ने मंत्री जी से कहा था कि अपनी भूल को वह स्वयं सुधारें, लेकिन चूंकि अपनी भूल को सुधारने की उदारता उन्होंने नहीं दिखाई, इस लिये अध्यक्षीय निर्देश 115 के तहत आज मुझे यह वक्तव्य देना पड़ रहा है।

मेरी मांग है कि सदन व्यापार मंत्री को डांट दें और उन से कहे कि वह सदन से माफी मांगे क्योंकि उन्होंने सदन को तसल्ली देने के लिये गलत जानकारी दी। व्यापार मंत्री को डांटना इस लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है कि उनकी गलत बयानी की जानकारी उन्हें देने के पश्चात् भी उन्होंने अपनी भूल को सदन के सामने आकर स्वयं नहीं स्वीकारा जैसे कि मसलन श्री इकबाल सिंह ने 7 दिसम्बर, 1967 को अपने उत्तर को शुद्ध करके स्वीकारा था।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने अभी बहुत सी बातें कहीं। सवाल केवल इतना है कि मैंने इस सदन के सामने गलत बयानी की या नहीं।

माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने कहा है कि मैंने 7 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 993 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये अपने उत्तर द्वारा सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया। यह बात सही नहीं है। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था, "फर्मों को काली सूची में रखने के लिए कार्यवाही हो रही है" अभिलेखों के हिन्दी पाठ में "हो रही है" के स्थान पर "हो गई है" छप गया है। 2 अगस्त, 1967 को इस मामले के सम्बन्ध में श्री मधु लिमये द्वारा मुझे लिखे जाने से पूर्व ही यह बात 13 जुलाई, 1967 को वाद-विवाद के सम्पादक को बता दी गई थी। इस शुद्धि के बिना भी अभिलेखों में छपा विवरण किसी प्रकार गुमराह करने वाला नहीं था। उसमें लिखा है : "जहां तक सवाल उठता है मिलों का वह उनकी ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही हो गई है।"

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मिलें काली सूची में रखी गई थीं, परन्तु केवल इतना कहा था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही थी (अथवा हो गई थी)। लोक-सभा में मेरे उत्तर दिये जाने से पूर्व ही फर्मों को काली सूची में रखने की कार्यवाही शुरू हो चुकी

थी और इसलिये सदन को मेरे द्वारा गुमराह किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता था। बाद में फर्मों को वास्तव में काली सूची में रखते समय हम कठिनाई में पड़ गये क्योंकि यह मामला न्यायाधीन था। इस सम्बन्ध में 2 अगस्त, 1967 को श्री मधु लिमये ने मुझे लिखा था और मैंने 6 अगस्त, 1967 को उनको उत्तर दे दिया था जिसमें सभी तथ्य दे दिये थे। इस विषय पर न फिर कोई बात लिखी और न फिर से कोई सम्पर्क स्थापित किया और मैंने इस मामले को समाप्त हुआ मान लिया था।

उपर्युक्त स्थिति से यह स्पष्ट हो जायेगा कि किसी भी समय मेरे द्वारा सदन को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री मधु लिमये : मुझे एक ही बात कहनी है। आपके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है उस पर भी उन्होंने आक्षेप किया है। इनको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिये थी और उदारता दिखानी चाहिये थी।

12.42 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

MR. SPEAKER: I have received a motion of no-confidence in the Council of Ministers from Sarvashri Balraj Madhok and Shri Shrichand Goel. It reads:

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The reason is: "mishandling the Kutch affair."

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Is that part of the motion or not part of it?

MR. SPEAKER: That is the explanation.

May I request those Members who are in favour of leave being granted to the motion to rise in their places? I find that more than 50 Members have risen in their places. Leave is granted.

May I ask the Government when they would like to have this taken up?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): We would like to have a discussion straightway, if you permit. Otherwise, what is the good of this Motion being postponed?

MR. SPEAKER: Today we have got so many things on hand. If you want everything to be postponed, I cannot help it. There is the motion relating to the situation in West Bengal; the motion of Shri P. Ven-Katasubbaiah has also been admitted.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Only tomorrow.

MR. SPEAKER: I will fix up a convenient time. I will have a discussion I would request the Minister also to be present. We need not postpone all these things on the agenda today. Anyway, now I will go to the next item.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): On a point of order. What happens to the propaganda which they are conducting one-sidedly? I want your guidance. This is a matter in which I wish to assure you that members of this House are all concerned. We are naturally concerned with finding out, what went wrong, how it happened, to bring to bear the best judgment on the question. You are fully aware of the concern it has caused. Behind it is our clean feeling....

MR. SPEAKER: No. no. He need not make a statement now.

SHRI M. L. SONDHI: Why should there not be an assurance from that